# मध्यप्रदेश शासन
## श्रम विभाग
## मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

-------

**:: आदेश ::**

क्रमांक 100/ऽऽ-/ऽऽ/18 भोपाल, दिनांक 04 अक्टूबर, 2018

राज्य शासन व्दारा अपने आदेश क्रमांक 589/पी.एस./श्रम/2018 दिनांक 29.05.2018 द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 के अंतर्गत ऐसे असंगठित श्रमिक जो एक हेक्टेयर से कम भूमि धारित करते हों तथा शासकीय सेवा में कार्यरत न हों तथा आयकरदाता न हों, पात्र होंगे। राज्य शासन इस योजना में ऐसे समस्त शासकीय मंदिरों के पुजारियों/सेवादारों को मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 के अंतर्गत पात्रता में सम्मिलित करता है, जिनको शासन द्वारा मंदिरों के रख-रखाव हेतु एक हेक्टेयर से कम भूमि प्रदान की गई हो। ऐसे समस्त पुजारी/सेवादार आयकरदाता अथवा शासकीय सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

4/10

(संजय दुबे)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग

पृष्ठां. क्रमांक 101/ऽऽ-/ऽऽ/18 भोपाल, दिनांक 04 अक्टूबर, 2018

**प्रतिलिपि:-**

1. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. अपर मुख्य सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
5. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
6. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश ।
7. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर ।
8. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
9. सचिव मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल।
10. जनसंपर्क आयुक्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

4/10/18

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग